राजस्थान सरकार

कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग

कार्यालय मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, 6सी, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

ईमेल rajfab@rajasthan.gov.in टेलीफोन 0141-2709659

क्रमांक मु.नि.का.बा./2024/719 दिनांक 18/04/2024

राजस्थान कारखाना नियम, 1951 के नियम 12बी के तहत

दिशा निर्देश (guidelines and instructions)

भारत सरकार के श्रम एवं नियोजन मंत्रालय के अ. शा. पत्र सं Z-16025/20/2023-ISH-II दिनांक 12-04-2024 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुमान अनुसार देश के अधिकांश भागों में चालू वर्ष के दौरान गर्म मौसम में तापमान सामान्य से अधिक होने की संभावना है।

इसलिए, श्रमिकों पर अत्यधिक गर्म मौसम के प्रतिकूल प्रभावों के प्रबंधन और शमन के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

यह जरूरी है कि गर्मी की लहर की स्थिति के प्रभाव की तैयारी और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रणनीति बनाई जाए। इस संबंध में, नियोक्ताओं/निर्माण कंपनियों/उद्योगों को निम्नलिखित कार्य करने के लिए आवश्यक निर्देश/निर्देश जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देशों की पालना में राजस्थान कारखाना नियम, 1951 के नियम 12बी के तहत राज्य में कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिये प्रत्येक कारखाना प्रबंधन को चालू वर्ष में अत्यधिक गर्म मौसम के प्रतिकूल प्रभावों के प्रबंधन और शमन के लिए निम्न प्रभावी कदम/उपाय सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाता है-

1. ग्रीष्म ऋतु के दौरान ऐसे श्रमिक, जो सीधे सूरज की तेज धूप में काम करते हैं, उनको छाया की व्यवस्था करें। छाया कि व्यवस्था ना होने तक गर्मी के दु:ष्प्रभावों से बचाने के लिये ऐसे कर्मचारियों/कामगारों के लिए कार्य घंटों का पुनः निर्धारण करें।
2. कार्यस्थलों में समुचित स्थानों पर पीने के पानी की पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित करें।
3. ग्रीष्म ऋतु के दौरान बचाव हेतु श्रमिकों के लिए आपातकालीन आइस-पैक (Ice Pack) और गर्मी की रोकथाम सामग्री का प्रावधान करें।
4. ग्रीष्म ऋतु के दौरान श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच सुनिश्चित करें।
5. श्रमिकों को गर्मी के दु:ष्प्रभावों से बचाने के लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी स्वास्थ्य सलाह (Health Advisory) का पालन सुनिश्चित करें।

18-4-24

6. जहां तक संभव हो, विश्राम क्षेत्र कार्यस्थल के निकट स्थित होने चाहिए एवं सुनिश्चित करें कि पर्याप्त मात्रा में ठंडा पानी और इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट उपलब्ध हों। गर्म परिस्थितियों में श्रमिकों को बार-बार पानी पीने हेतु प्रेरित करें।
7. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्यस्थल पर पर्याप्त वेंटिलेशन हो।
8. श्रमिकों को अत्यधिक गर्मी और आर्द्रता से होने वाले खतरों और उपचारात्मक उपायों से अवगत कराया जाना चाहिए।

18-4-24

(हरीश कुमार गुप्ता)
मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स
राजस्थान, जयपुर